"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 99] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 मार्च 2011—चैत्र 10, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/24/2011/वाक/पांच (24).—छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शाई गई वस्तुओं की श्रेणी को कॉलम (3) में दर्शायी गई सीमा तक कॉलम (4) में दर्शाई गई शर्तों एवं निर्बन्धनों के अंतर्गत दिनांक 01-04-2011 से 31-03-2012 तक के लिये उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)	शर्तें एवं निर्बन्धन (4)
1.	स्टील स्ट्रीप एवं स्टील क्वाईल.	संपूर्ण कर	जब इसका उपयोग स्टील पाईप के निर्माण में कच्चा माल के रूप में हो.
2.	पैकिंग सामग्री	संपूर्ण कर	जब इसका उपयोग अगरबत्ती के पैकिंग के रूप में हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2011

क्रमांक एफ-10/24/2011/वाक/पांच (24).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/24/2011/वाक/पांच (24), दिनांक 31-03-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, प्रमुख सचिव.

Raipur, the 31st March 2011

NOTIFICATION

No. F-10/24/2011/CT/V(24).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax to the extent specified in column (3), subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the Schedule from 01-04-2011 to 31-03-2012 of the said Act :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of Exemption (3)	Restrictions and conditions (4)
1.	Steel strip and steel coil	Whole of tax	When used in manufacturing of steel pipe as raw material.
2.	Packing Material	Whole of tax	When used for packing of Agarbatti

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY SINGH, Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.